

देवघर समाहरणालय

(जिला भू अर्जन शाखा)

—: अधिसूचना :-

अधिसूचना संख्या**885**...../भू अ०

दिनांक : **8/9/18**

चूँकि झारखण्ड सरकार/समाहर्ता को यह प्रतीत होता है कि ग्राम—मोदीबांध, थाना—सारठ, थाना सं०—485, अंचल:—सारठ, जिला—देवघर में भूमि सार्वजनिक प्रयोजन, यथा परियोजना खागा—फुटानी चौक—डीगरी—डुमरिया मोड़—महापुर पथ पुनर्निर्माण हेतु अपेक्षित है। प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजनार्थ अपर समाहर्ता अथवा नियम 2(1)(ख) के तहत नियुक्त पदाधिकारी प्रशासक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अतएव अधिसूचित किया जाता है कि ग्राम—मोदीबांध, थाना—सारठ, थाना सं०—485, अंचल:—सारठ, जिला—देवघर में उपर्युक्त कथित परियोजना के लिए कमोवेश **0.32 एकड़** मानक माप का भूखंड, जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है, अर्जनाधीन है —


क. स.	खात सं.	सर्वे भूखंड सं०	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (एकड़ में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भूखंड सं०)			
							उ०	द०	पू०	प०
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	4/क	180	रैयती	बाड़ी-2	0.14	राजकिशोर भोक्ता पे० स्व० चन्द्रु भोक्ता वो रूपेश भोक्ता पे० स्व० बमशंकर भोक्ता वो सिद्धेश्वर भोक्ता पे० स्व० भक्तु भोक्ता अंश समान सा० फुलचुआं।	अर्जित दाग का अंश	मौजा फुलचु आं नं० 216	मौजा मंझली मटेरिय I, नं० 484	मौजा भूईया डीह, नं० 490
2	4/क	181	रैयती	बाड़ी-2	0.18	विन्देश्वरी भोक्ता वो प्रमोद भोक्ता वो कुमोद भोक्ता वो सुशील भोक्ता पे० स्व० जनार्दन भोक्ता वो बसन्त भोक्ता वो रोहित भोक्ता वो अनुप भोक्ता पे० स्व० बलदेव भोक्ता वो कांग्रेश भोक्ता वो युगल भोक्ता वो रंजीत भोक्ता पे० स्व० हरिलाल भोक्ता वो उगेन्द्र भोक्ता वो सुरेश भोक्ता पे० स्व० भरत भोक्ता वो अजीत भोक्ता पे० स्व० चिगो भोक्ता अंश समान सा० फुलचुआं।				
कुल रकवा—					0.32					

यह अधिसूचना भू—अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम—2013 (अधिनियम संख्या 30/2013), की धारा—11 (1) के उपबंधों के अधीन सभी संबंधित व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है।

भूमि की योजना का निरीक्षण जिला भू—अर्जन पदाधिकारी, देवघर के कार्यालय में किसी कार्य दिवस को कार्यावधि में किया जा सकेगा। झारखण्ड सरकार/समाहर्ता—सह—समुचित सरकार उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एवं यथाविनिर्दिष्ट कार्यों के समुचित निष्पादन हेतु अपेक्षित किसी भूमि का सर्वेक्षण एवं उसकी प्रविष्ट करने, किसी भूमि के किसी स्तर को मापने के लिए, अवभूमि खोदने या भू—वेधन—छिद्र करने सहित सभी अन्य कार्यों के संचालन करने हेतु जिला भू—अर्जन पदाधिकारी, देवघर और उनके कर्मचारियों को प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई व्यक्ति जिला समाहर्ता के पूर्विक अनुमोदन के बिना इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई अंतरण यथा कय/विकय नहीं करेगा या ऐसा कोई अंतरण करवाएगा या ऐसी भूमि पर कोई

अवभार नहीं उत्पन्न करेगा। अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथाउपबंधीत इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के अंतर्गत भू-अर्जन की बाबत किसी प्रकार की आपत्तियों हितबद्ध व्यक्ति द्वारा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, देवघर के समक्ष दर्ज की जा सकेगी।



समाहर्ता-सह-उपायुक्त,
देवघर।

ज्ञापांक४२५...../ भू अ०, देवघर, दिनांक४/२/१८.....

प्रतिलिपि : संबंधित भूधारियों को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अंचल अधिकारी, सारठ को सूचनार्थ एवं सूचना पट्ट में लगाने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : अनुमण्डल पदाधिकारी, मधुपुर को सूचनार्थ एवं सूचना पट्ट में लगाने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, देवघर को दो दैनिक समाचार पत्रों में जिसमें से एक स्थानीय भाषा में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, जिला गजट शाखा, देवघर को आगामी असाधारण/पाक्षिक अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, देवघर को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि देवघर जिला के वेबसाईट पर प्रदर्शित करने का कृपा करें।



समाहर्ता-सह-उपायुक्त,
देवघर।